न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 69/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. गिरधारीलाल पुत्र चेनाराम	1	जस्साराम पुत्र हुकमाराम जाति सीरवी निवासी सिनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. देवी बेवा चेनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण सिनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17.1.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 184/2010 (246/2008) जस्साराम बनाम गिरधारी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। जिसमें जैर अपील विवादित आराजी को पूर्व में विभाजित होना बताते हुए तथाकथित पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 13.07.1961 के आधार पर गत खसरा नम्बर 659/2 की भूमि अपने हिस्से में होना बताते हुए अपने नाम खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम जो सम्मन जारी किया गया, वह सम्मन अपीलाण्ट से न तो व्यक्तिशः तामील हुआ एवं न ही विधिवत तामील करवाया गया। उक्त सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा यह स्पष्ट रिपोर्ट अंकित कि की गिरधारी बाहर रहता है व माता का नोटिस लेने से इन्कार बताया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त तामील माना है, जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त तामील के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथनों को सत्य मानते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण ही नहीं किया तथा न ही रेस्पोडेन्ट के कथनों के सन्दर्भ में राजस्व रेकर्ड का परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए बिना ही विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई करते हुए निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी का अपीलाण्ट के पिता/पति एवं रेस्पोडेन्ट सहित अन्य सह खातेदारान् के मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका था। जिसके अनुसार अपीलाण्ट के हक में खसरा नम्बर 659/3 की भूमि, रेस्पोडेन्ट के हक में 659/2 की भूमि, भगाराम को खसरा नम्बर 658 की भूमि तथा चुन्नीलाल को खसरा नम्बर 659 की भूमि प्रदान की गई। इसी अनुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त थे। इस अनुरूप राजस्व रेकर्ड में खातेदारी घोषणा हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट द्वारा बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट की ओर से मुख्य परीक्षण में परीक्षित हुए गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को वाद को डिक्री योग्य पाये जाने पर डिक्री किया गया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील का मुख्य आधार यह लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन अपीलाण्ट के नाम जारी किया गया, वह अपीलाण्ट गिरधारी से विधिवत तामील नहीं हुआ। इस तथ्य के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दर्ज होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट गिरधारी के नाम जो सम्मन जारी किया गया, उस पर तामील कुनिन्दा की यह रिपोर्ट आई कि गिरधारीलाल बाहर रहता है, घर पर उसकी माताजी मिली, जिन्होने नोटिस लेने से इन्कार किया, खुले आबाद मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की प्रक्रिया विहित है। प्रकरण में जो तामील प्रक्रिया प्रश्नगत की गई है, उस सम्बन्ध में आदेश 5 नियम 17 तथा नियम 19 में जो प्रावधान दर्शित है, वे इस प्रकार है – **आदेश 5 नियम 17 – "जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया** –– जहॉ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था। **आदेश 5 नियम 19 – तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा** –– जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहॉ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नही की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

उपरोक्त प्रावधानों तथा विधिक दृष्टिकोण से यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण में तामील कुनिन्दा की यह स्पष्ट रिपोर्ट थी कि अपीलाण्ट ग्राम सिनला में नही रहता है, वह बाहर रहता है। इस स्थिति में उसकी माता द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने तथा दो स्वतन्त्र साक्षियों की उपस्थिति के बगैर, बिना किसी आदेश के चस्पा किए गए सम्मन को विधिवत तामील मानते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 (राज.) 1997 पेज 174 में हरिनारायण व अन्य बनाम तोपखाना गृह निर्माण समिति व अन्य में पैरा संख्या 5 यह उद्धरित किया कि "..... In the instant case the process server did not care to use due and reasonable diligence in finding the defendants, without making efforts to find out as to when the defendants would be available next time and trying the summons on them, the process server affixed the summons on outer door. There is one more infirmity in the report of process server that he did not mention that as to by whom the house of the defendants was identified. These infirmities can not be merely termed as irregularities. I am of the considered view that the provisions of O.5 R. 17 CPC have not been complied with by the process server in the instant case"...इस आधार पर पैरा संख्या 8 में यह उद्धरित किया कि ".... In this case the learned counsel for the plaintiff though

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

vehemently argued in support of the impugned order but I am unable to accept this contention that non-compliance of the provisions of O.5 R. 17 CPC strictly, may only be termed as irregularity and in view of provisions contained in second proviso to 0.9 R. 13 CPC, exparte decree cannot be set aside." हस्तगत प्रकरण पर यह सिद्धान्त पूर्ण रूपेण चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी जो तामील प्रक्रिया अपनाई गई है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 17 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जहां तक दस्तावेजी साक्ष्यों का प्रश्न है, तो रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने वाद का मुख्य आधार जैर अपील विवादित भूमि, जिसके गत खसरा नम्बर 658 व 659 थे, का बटा नम्बर के अनुसार विभाजित होना बताते हुए उक्त विभाजन के अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया था, जिसका आधार तथाकथित बंटवाडा लिखत दिनांक 13.07.1961 थी। उक्त लिखत अपंजीकृत है, जिसके अनुसार हुक्माराम द्वारा अपनी सम्पति को अपने पुत्रों में विभाजन किया गया है, हालांकि उक्त दस्तावेज की वैधानिकता क्या था तथा उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य था अथवा नहीं ? इसकी जांच करने का दायित्व परीक्षण न्यायालय का था, जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में परीक्षित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण किए बगैर ही अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1066 को रेस्पोडेन्ट की खातेदारी घोषित की, जिसका कोई आधार दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 184/2010 (246/2008) जस्साराम बनाम गिरधारी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान् के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर, उन पर साक्ष्य संग्रहित करते हुए साक्ष्यों के आलोक में प्रकरण के बिन्दुओं का परीक्षण कर सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली